

दुकान या कार्यावाही मय इतिहासिक पत्र

नाम्बर म तारीख  
व्यवसाय जो इस  
दुकान की तारीख  
में जारी हुए

106  
92-9-22 वकील उममपला उप-1 वार्ड  
वहस फ्यालकी नं० 15-11-22 को पत्र है।

15-11-22 वकील उममपला उप-1 वार्ड  
वहस फ्यालकी नं० 25-11-22 को पत्र है।

25-11-22 वकील उममपला उप-1 वार्ड  
फ्यालकी नं० 28-11-22 को पत्र है।

98-11-22 वकील उममपला उप-1 वार्ड  
वहस फ्यालकी नं० 2-12-22 को पत्र है।

21/12/22 वकील उममपला उप-1 अर्थात् मूर्ति  
मंदिर से और से लिखित वहस प्रकृत के वही वकील  
अर्थात् लिखित वहस के समय स्पष्ट है। वही लिखित  
वहस पत्र - 15/11/22 को पत्र है।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (सं००)

6/12/22 वकील उममपला उप-1 वहस बुनी गई। वही  
अर्थात् अपनी लिखित वहस भी प्रकृत की है। वही  
निर्णय पत्र - 13/12/22 को पत्र है।

13/12/22 वकील उममपला उप-1 हैं। सामान्य है कारण  
निर्णय नहीं लिखा जा सके। वही निर्णय पत्र - 15/12/22  
को पत्र है।

26/12/22 वकील उममपला उप-1 अर्थात् वॉ. 2-ड्राग  
प्रकृत साउथवेलीम कब्र कामती रिमोवी कर दिया  
जाता है एवं प्राथमिक द्वारा प्रकृत प्राथमिक अस्थादि  
निर्णयाना स्वीकार किया जाता है। विल्ट निर्णय 2/45



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सै लिखा जसक शक्ति फडावली बिगा गमा पडावली  
फैसल जुमार तोक नम्बर सै कग लै जगं वाद लउगील गुल  
वाद डै साम संलाल रई

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

र्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला  
लेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

क्रमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

3/2019

7.8.2019

26.12.2022

जगन पुत्र सुगन  
मोहन पुत्र सुगन  
धर्मसिंह पुत्र केसरिया  
मुकेश पुत्र केसरिया  
दिनेश पुत्र केसरिया  
महेश पुत्र केसरिया  
कैलाशी बेवा केसरिया  
रूपवन्ती पुत्री केसरिया

जाति माली  
निवासी खानपुर बडौदा  
पैमा का पुरा  
तहसील गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

- सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
- मूर्ति श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान धूधेश्वर ग्राम चूली जरिए  
संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राह्मण निवासी  
धूधेश्वर चूली

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से  
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से  
निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मन्दिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बन्दोबस्त संबत् 2008 लगायत 2011 खसरा नम्बर 758 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम खानपुर बडौदा में स्थित है जिसके एकीकरण में खसरा नम्बर 417 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कायम किये है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द व अन्य प्रार्थीगण के बाबा सुगन पुत्र मूलचन्द उक्त भूमि के उपकृषक दर्ज थे। संबत् 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा मन्दिर के भोग विलास एवं अन्य खर्चों के लिये एन्यूटी जारी कर दी एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत सुगन पुत्र मूलचन्द को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। संबत् 2008 से ही सुगन पुत्र मूलचन्द उक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट रहे है तथा उनके मरने के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। एकीकरण संबत् 2018 में भी भूमि खसरा नंबर 417 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी सुगन पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज थी। साबिक खसरा नंबर 417

जगन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा0पत्र टी0आई0

( 2 )

के वर्तमान सेटिलमेन्ट में नये नम्बर 918 रकबा 0.94 हेक्टर कायम किये है। जिस पर कब्जा साबिक की भांति प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। वर्तमान सेटिलमेन्ट में सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 918 को मंदिर श्री गोविन्ददेव जी चूली के नाम दर्ज कर दिया। जबकि भूमि खालसा होने के बाद तथा उपकृषक को जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1953 की धारा 9 के तहत खातेदारी पृथक करने के बाद उसे पुनः मन्दिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि को मन्दिर के नाम दर्ज कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। सेटिलमेन्ट विभाग की उक्त गलती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। इसलिये प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को दिनांक 05.05.2019 को धमकी दी है कि उक्त भूमि मन्दिर के नाम दर्ज हो चुकी है इसलिये प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करेंगे। प्रार्थीगण का प्राईमा फैंसी केस पूर्णतया साबित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा ग्रम खानपुर बडौदा में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हेक्टर में प्रार्थीगण के कब्जे काशत मे कोई व्यवधान पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। इसमें अप्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निहायत कमजोर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 2 जिस प्रकार लिखा है, गलत है व स्वीकार नहीं है। वर्णित खसरा नंबरान के राजस्व रिकार्ड की स्थिति मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अंकन की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र



अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 3 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कथित प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता सुगन चंद पुत्र मूलचंद व अन्य प्रार्थीगण के बाबा सुगन पुत्र मूलचंद का उप कृपक होना स्वीकार नहीं है। हमेशा से वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की खातेदारी की रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष विवरण में अंकित है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 4 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। संवत् 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 का लागू होना स्वीकार है। उक्त अधिनियम के तहत जागीरदारों की भूमि राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण की गई है परन्तु धार्मिक संस्थाओं की भूमि का राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण नहीं किया गया है अपितु धार्मिक संस्थाओं में या मूर्ति मंदिर की माफी की भूमियों को सरकार द्वारा निश्चित लगान देय निर्णित किया गया है तथा लगान अदा करने के प्रतिफलार्थ धार्मिक संस्थाओं व मंदिरों को वार्षिक शाश्वती (एन.यू.टी.)

दिया जाना उक्त अधिनियम में प्रावधित किया गया है जिसके अनुरूप ही धार्मिक संस्थाओं व मंदिरों को (एन.यू.टी.) प्राप्त होती है। मंदिरों की माफी की भूमि को मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग मानते हुए अन्तरण योग्य प्रतिबंधित भूमि होना विनिश्चित किया गया है तथा मंदिर माफी की भूमियों पर मूर्ति शाश्वत नाबालिग का ही विधिक कब्जा होना भी विनिश्चित किया गया है। माफी मंदिर की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति का खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि मूर्ति मंदिर विधि अनुसार शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों को आध बटाई पर या मजदूरों से काश्त करवाता रहा है। उक्त आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। कथित व्यक्ति सुगन चंद पुत्र मूलचंद द्वारा भी मूर्ति शाश्वत नाबालिग की ओर से मूर्ति की भूमि को आध बटाई पर काश्त किया गया है, उक्त आधार पर यदि राजस्व रिकार्ड में बटाईदार का नाम अंकित भी हो गया है तो वह मूर्ति शाश्वत नाबालिग के प्रति प्रभावहीन है। वर्णित भूमि के एकीकरण में खसरा नंबर 417 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रेकार्ड के अनुसार तथ्यात्मक है। भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिस पर सुगन पुत्र मूलचंद की खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 5 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। वर्णित साबिक खसरा नंबर 417 के वर्तमान सैटिलमेन्ट में नये नम्बर 918 रकबा 0.94 हैक्टर कायम होना तथ्यात्मक है। हाल खसरा नंबर 918



अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति मंदिर गोविंद देव की खातेदारी में है जिस पर विधि अनुसार शाश्वत नाबालिग मूर्ति का ही आधिपत्य है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 6 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर विधि अनुसार सैटिलमैण्ट विभाग द्वारा गिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति मंदिर की खातेदारी में अंकित किया है। चूंकि उक्त भूमि प्रारंभ से ही मूर्ति मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। कथित उप कृषक का मूर्ति की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध विधि अनुसार नहीं है। गिन जवाबदार शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी का विधि अनुसार संरक्षक व पुजारी है। मूर्ति मन्दिर की भूमि को सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा नियमानुसार ही मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही नियमानुसार कब्जा काशत है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 7 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि विधि अनुसार मूर्ति की ही कब्जे काशत की भूमि है। मूर्ति की इच्छा के विरुद्ध भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत का माना जाता है। मूर्ति की जमीन पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा बनाये रखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण न तो मूर्ति को भूमि की उपज का आध बंटवाई का हिस्सा देते हैं और न ही भूमि से मूर्ति को लाभान्वित होने देना चाहते हैं अपितु भूमि पर अवैध कब्जा कर भूमि को अवैध रूप से भूखंडों की शकल में विक्रय करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं। प्रार्थीगण का कृत्य विधि विरुद्ध है जिसके संदर्भ में गिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने के लिए काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 8 में वर्णित दिनांक 05.05.2019 का घटनाक्रम पूर्ण तरह से काल्पनिक व असत्य है। वादग्रस्त भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 9 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत गिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम बाबत रिसीवरी प्रथम दृष्टया बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 10 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उसके पक्ष



*[Handwritten signature]*

में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं है बल्कि यह बिन्दु गिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में सावित है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 11 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उसके पक्ष में कसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से उसके पक्ष में ऐसी कोई क्षति होने वाली नहीं है कि जिसकी पूर्ति उसको द्रव्य से नहीं करवाई जा सके। यह बिन्दु गिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में सावित है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व्यय सहित खारिज किए जाने योग्य है। जबाब के विशेष विवरण में अंकितकिया है कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर स्थित खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे काश्त की भूमि है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि सदैव से अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 2 शाश्वत नाबालिग है जो उपरोक्त भूमि को कभी आध बंटाई पर और कभी मजदूरी पर विभिन्न लोगों से काश्त करवाते रहे हैं तथा भूमि की काश्त की उपज से शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था वाद मित्र संरक्षक व पुजारी शंकर लाल पुत्र माखनदास द्वारा जमाने बुजुर्गान से की जाती रही है। जमींदारी उन्मूलन से पूर्व माफी की भूमियों बाबत रियासती कानून प्रभावी थे। जमींदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य की नीति अनुसार सभी भूमि राज्य के नियंत्रण में रखी गई तथा कृषकों को सीमित अधिकार प्रदान करते हुए खातेदारी अधिकार दिए गए। धार्मिक संस्थाओं व मूर्तियों की भूमियों को भी उक्त कम में सरकारी नियंत्रणाधीन किया गया तथा उक्त भूमि लगान देय हो गई परन्तु रियासत काल में मंदिरों की भूमियों पर किसी प्रकार का लगान देय नहीं था। लगान माफ होने के कारण भूमियों को माफी की भूमि से संबोधित किया जाता था। उक्त रियासती प्रथा के अनुरूप ही राजस्थान राज्य द्वारा राज्य सरकार के अधीन मूर्ति मंदिर की भूमियों के लिए जाने के परिणामस्वरूप देय लगान की राशि धार्मिक संस्थान व मंदिरों को वार्षिक शाश्वती (एन.यू.टी) के रूप में देना निश्चित किया गया तथा मंदिर की भूमियों को विशेष श्रेणी की भूमि घोषित किया गया। मूर्ति को शाश्वत नाबालिग घोषित करते हुए उसकी कृषि भूमियों पर मूर्ति का शाश्वत नाबालिग होने के आधार पर विधि अनुसार मूर्ति का ही कब्जा होना माना गया। चूंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है इसलिए मूर्ति द्वारा



*[Handwritten signature]*

स्वयं भी भूमियों को आध बटाई पर या मजदूरों द्वारा काशत करवाया जाता रहा है। आध बटाई व मजदूरों का मूर्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार के कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेष विवरण के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर को पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज आध बटाई पर काशत करते रहे तथा उपज का आधा भाग नियमानुसार मूर्ति मंदिर को अदा करते रहे जिससे मूर्ति मंदिर के भोगराग की व्यवस्था होती रही। प्रार्थीगण के पूर्वजों का निधन हो चुका है। विगत कुछ वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा की कृषि उपज में से आधा भाग मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति को देना बंद कर दिया तथा मूर्ति की इच्छा के विरुद्ध उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थीगण अपना अवैध कब्जा किए हुए है जो अतिकमण की परिभाषा का है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीके से भूखण्डों की शकल में विक्रय करने व अवैध निर्माण भी प्रारंभ किया गया जिसकी शिकायत होने पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। वादग्रस्त भूमि को बदनियतिपूर्वक हडप करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत वाद विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसकी सूचना उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति गोविंद देव जी महाराज के संरक्षक शंकर लाल द्वारा दि० 08.09.2019 को प्रार्थीगण से वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी पर से अपना अतिकमण हटाकर तथा मौजूदा निर्माण हटाकर भूमि पुनः मंदिर को संभलाये जाने बाबत कहा तो प्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया तथा भूमि पर से कब्जा हटाने से मना करते हुए उपज का आधा हिस्सा देने से भी मना किया साथ ही भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने से भी इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कब्जा अतिकमी की हैसियत का बन गया है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु तथा अप्रार्थी संख्या 2 का भूमि पर दखल करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को काउण्टर क्लेम किया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में काउण्टर क्लेम किया जा चुका है। प्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीके से शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि को निरन्तर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा मिन जवाबदार को कृषि भूमि की उपज से महरूम रखे हुए है। मिन जवाबदार के हितों की सुरक्षार्थ वादग्रस्त भूमि ताफैसला मूल वाद कब्जे राज में लिया जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर प्रतिवर्ष जरिये



*(Signature)*

जगन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा0पत्र टी0आई0  
( 7 )

रिसीवर काश्त करवाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर काउण्टर क्लेम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम बाबत रिसीवर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के रिसीवरी का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादगस्त भूमि हाल खसरा नंबर 918 रकबा 0.94 हैक्टर स्थित खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी को अविलम्ब कब्जे राज में लिया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त कर काश्त व्यवस्था करवाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने सायलान ने फोटोकोपी नकल खतौनी एकीकरण, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2014 से 2017, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2015, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 2014, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 217 पेश की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 2 ने फोटोकोपी मौका पर्चा दिनांक 19.1.2021, दिनांक 10.11.2017, दि0 5.10.2018 प्रस्तुत किया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान वकीलों ने अपनी अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

सायलान के विद्वान वकील ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बन्दोवस्त सं0 2008 से 2011 ख0नं0 758 ग्राम खानपुरबडौदा में स्थित रही है जिस पर उप कृषक के रूप में प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द का कब्जा काश्त दर्ज था। एकीकरण सं0 2018 में उक्त भूमि के ख0नं0 417 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा तथा वर्तमान भू-प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 918 रकबा 0.94 है0 कायम किए गए हैं। जागीर पुनर्ग्रहण के समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिया गया तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा गिरदावरी सं0 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा काश्त सुगन पुत्र मूलचन्द का उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का दर्ज रहा है लेकिन सेटलमेंट के दौरान यह भूमि गलत रूप से मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी गई है। भूमि पहले मंदिर के

नाम थी लेकिन 1952 में खालसा दर्ज कर दी व मंदिर के हक में एनयूटी जारी कर दी। चूंकि 1952 में प्रार्थीगण के बाबा सोन्या भूमि के उप कृषक थे इसलिए उन्हें जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से खातेदारी दी गई लेकिन गलती से सेटलमेंट विभाग ने भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी जबकि भूमि पर कब्जा वर्तमान में भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। मंदिर के पुजारी की नियत खराब है, वह प्रार्थीगण से रूपए ऐंठना चाहता है इसलिए उसने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर भूमि रिसीवरी में लेने की इस्तदुआ की है जो नितान्त गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय डी०एन०जे० 2021 वाल्यूम 3 पेज 946 में यह मत प्रतिपादित किया है कि एक कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवर की आड में बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि गलत रूप से सेटलमेंट विभाग वालों ने मंदिर के नाम दर्ज कर दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दि० 24.5.2007, दि० 6.1.2010 एवं दिनांक 25.11.2011 को सर्कुलर जारी किए गए हैं जिनमें आदेश दिया गया है कि यदि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय भूमि पर खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार पट्टेदार एवं उपकृषक के रूप में पुजारी के अलावा किसी तृतीय पक्ष का कब्जा है तथा उक्त भूमि खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार, उपकृषक के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यह भूमि सं० 2012 में उपकृषक के रूप में प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज थी इसलिए उसे सही रूप से खातेदारी दी गई थी इसके बाबजूद भी सेटलमेंट विभाग वालों ने बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने आर०आर०डी० 2015 पेज 456 में तारा एण्ड 35 अदर्स रिट याचिकाओ को निस्तारित करते हुए 15-7-2015 को निर्णय पारित किया है कि यदि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के बाद भूमि मंदिर की खुदकाशत के रूप में दर्ज है तथा उसकी खातेदारी पुजारी के नाम हो जाती है तो उसे पुजारी के नाम से निरस्त कर पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि यह भूमि मंदिर की खुदकाशत मानी जावेगी लेकिन जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय या बाद में भूमि पर तृतीय पक्ष खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार या उप कृषक के रूप में दर्ज है तथा खातेदारी उस व्यक्ति के पक्ष में दर्ज कर दी गई है तो उक्त भूमि को वापस मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यदि सेटलमेंट विभाग वालों द्वारा ऐसी भूमि को दौराने सेटलमेंट मंदिर के नाम दर्ज



कर दी जाती है तो राजस्व अधिकारियों की जानकारी में आते ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007, 2010, 2011 में जारी सर्कुलरों के अनुसार दुरुस्ती के लिए कार्यवाही कर खातेदारी उक्त व्यक्ति के नाम दर्ज कर देनी चाहिए। प्रार्थीगण के इस केस में लैण्ड होल्डर द्वारा सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती अवश्य मानी है लेकिन दुरुस्ती की कोई कार्यवाही लैण्ड होल्डर द्वारा नहीं की गई है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी आर0आर0डी0 2015 पेज 370 पर रेफरेन्स की कार्यवाही के दौरान यही मत प्रतिपादित किया है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान की गई खातेदारी को मंदिर द्वारा उस समय चैलेन्ज नहीं किया गया इसलिए भूमि को रेफरेन्स की कार्यवाही में खातेदार के नाम से निरस्त कर मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। आर0आर0डी0 2015 पेज 91 में भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यही मत प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द को उनके कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई थी, सेटलमेंट विभाग द्वारा उसे गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया ऐसी स्थिति में तहसीलदार व मंदिर को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काशत में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से रिसीवर का प्रार्थना पेश किया है उसे खारिज किया जावे। अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर आपत्ती जताते हुए प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी का यह कथन नितान्त गलत है कि उक्त भूमि खतौनी एकीकरण बन्दोवस्त इत्यादि में मंदिर के नाम दर्ज है जबकि भूमि सं0 2012 से प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचन्द के नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सं0 2008 से 34 तक लगातार कब्जा काशत सोन्या के नाम दर्ज है तथा सं0 2014 से सुगन की खातेदारी में दर्ज है। सुगन के मरने के बाद प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है। हलका पटवारी द्वारा दिनांक 31.1.19, 23.6.12, 11.7.17 को प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई रिपोर्ट नितान्त गलत है क्योंकि जबाब दावे में स्वयं लैण्ड होल्डर जबाब प्रस्तुत कर चुके हैं कि उक्त भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के बाद से ही प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रही है लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उसे गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि हलका पटवारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत भी की गई है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि लैण्ड होल्डर स्वयं अपने जबाब दावे में भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी की होना बता रहा है। लिखित बहस में अप्रार्थी ने आपत्ती ली है कि मूर्ति



मंदिर शाश्वत नाबालिग माना जाता है, उसकी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते, अप्रार्थी की यह बात सही है परन्तु प्रार्थीगण का केस अलग श्रेणी का है क्योंकि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि पुनर्ग्रहण कर खालसा दर्ज कर दी गई एवं उस समय सुगन के उपकृषक होने के नाते भूमि सुगन के नाम दर्ज कर दी गई इसलिए इस भूमि को मंदिर की नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस केस पर चस्पा इसलिए नहीं होते हैं कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भूमि पुजारी के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसे मंदिर के नाम दर्ज किया जावे। इस तथ्य को दि0 24.5.2007, 6.1.2010, 25.11.2011 के सर्कुलर एवं राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा पारित जजमेंट आर0आर0डी0 2015 पेज 456 एवं राजस्व मण्डल के अन्य निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि पुजारी के अलावा अन्य तृतीय पक्षकार के हक में दिए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता, धारा 21, 22 व 26 इस केस में लागू नहीं होती है क्योंकि दि0 22.12.1958 को जागीर कमिश्नर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी कि जिन जागीरदारों ने मुआवजा प्राप्त नहीं किया है वे 15 फरवरी 1959 तक या उसके बाद मुआवजा राशि बोण्ड में लेनी है, नकद लेनी है तथा लगान की एवज में मुआवजा राशि का जमा खर्च कराना चाहे तो अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों के पास शीघ्र पेश कर दें। जब मुआवजा राशि का निर्धारण 15 फरवरी 1959 तक हो गया तो अब मुआवजा राशि निर्धारण का बिन्दु 70 साल के लम्बे अन्तराल के बाद नहीं उठाया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है कि उनके द्वारा मुआवजे के सम्बन्ध में कोई आपत्ती की गई हो तथा अदालत द्वारा उनके पक्ष में कोई निर्णय पारित किया गया हो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस से प्रार्थीगण के हितों पर कोई असर नहीं पड़ता है। सन् 2021 का जो सर्कुलर अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि उक्त सर्कुलर मंदिर की भूमि पर नवीन किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में है जबकि प्रार्थीगण की भूमि मंदिर की नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी हेतु काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काशत में व्यवधान पैदा नहीं करें एवं प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें।



*(Handwritten signature)*

जगन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा0पत्र टी0आई0

( 11 )

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने अपने जबाब तथा काउन्टर क्लेम के अनुरूप बहस की एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी भूमि ख0नं0 918 ग्राम खानपुरबडौदा पर स्वयं को उपकृषक बतौ हुए पुराने कब्जे के आधार पर घोषणां खातेदारी का दावा व दावे के साथ यह टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। टी0आई0 प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने केवल लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया है एवं मंदिर के हितों को देखते हुए अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर टी0आई0 प्रार्थना पत्र में मंदिर को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया जिस पर न्यायालय द्वारा मंदिर को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी मंदिर की ओर से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में टी0आई0 प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए भूमि को रिसीवरी में लेने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में सुसंगत दस्तावेज सं0 2003 से वर्तमान तक की जमाबंदियां, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी एकीकरण व बंदोवस्त प्रस्तुत की गई है जिनमें वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही अप्रार्थी मंदिर की खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द करने के क्रम में हलका पटवारी की रिपोर्ट दि0 10.11.2017, 19.1.2021, 5.10.2018 एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से जारी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनके आधार पर यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा कृषि भूमि का स्वरूप बदल कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है जिसकी सम्पत्ती किसी भी रूप में अन्तरण योग्य नहीं है। मंदिर की भूमिपर यदि किसी व्यक्ति का किसी भी रूप में कब्जा भी है तो वह कब्जा मंदिर का ही माना जाता है। मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2021(2) पेज 1322 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपना न्यायिक दृष्टिकोण प्रकट किया है जिसमें मंदिर की खुदकाशत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। आर0आर0डी0 2018 पेज 235 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की दो सदस्यों की बैंच ने प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत मंदिर की जमीन पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आर0आर0टी0 2018(1) पेज 541 में माननीय



राजस्व मण्डल अजमेर की दो सदस्यों की बेंच ने प्रतिपादित किया है कि सं० 2012 से 2015 की जमाबंदी में मंदिर की खातेदारी व कब्जा काशत दर्ज है, खुदकाशत भूमि पुनर्ग्रहित नहीं थी, पुजारी भूमि के हस्तान्तरण हेतु सक्षम नहीं था, मंदिर शाश्वत नाबालिग है। इन न्यायिक दृष्टान्तों से यह प्रमाणित है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्ति मंदिर की इच्छा के विरुद्ध भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा कब्जा अस्तित्व में होने पर वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिसमें बेदखली की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी मंदिर की ओर से कायमी रिसीवर हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। रिसीवर कायम करने के सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर०आर०टी० 2014(2) पेज 1317 में अवधारित किया है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और उसके हितों की रक्षार्थ रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है। न्याय दृष्टान्त आर०आर०टी० 2011(2) पेज 979 में प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, पुजारी अथवा काशत करने वाले व्यक्ति को इस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते, हस्तान्तरण अथवा भूमि को खुर्द-बुर्द करने का आशंका पर भूमि पर रिसीवर कायम करना न्यायोचित माना है। न्याय दृष्टान्त आर०बी०जे० 2008 पेज 628 पर यह प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, उसकी भूमि की सुरक्षार्थ रिसीवर नियुक्त किया जाना ही एकमात्र उपचार है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मूर्ति मंदिर की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत अधिसूचनाएँ प्रदेश के समस्त जिलाकलेक्टरों व अन्य सक्षम अधिकारियों को जारी की गई है। इस क्रम में परिपत्र क्रमांक प 1(2)राज० 6/200/पार्ट दिनांक 20.8.2022 व क्रमांक प 3(10)राज-6/2021 दिनांक 6.7.2021 सुसंगत व प्रभावी है। इसलिए मंदिर की भूमि की सुरक्षार्थ इस पर रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की वादग्रस्त कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि स्थित खानपुरबडौदा के सम्बन्ध में आम जन द्वारा श्री शिकायतें विभिन्न उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त सचिवालय जयपुर में भी कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में यह आधार लिया है कि सं० 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि को खालसा दर्ज कर राज्य सरकार द्वारा मंदिर के हक में मंदिर के भोग विलास व खर्चों के लिए एनयूटी जारी कर दी गई तथा भूमि का खातेदार प्रार्थीगण के पिता सुगन की दर्ज कर दी जिसे जीवन पर्यन्त वे काशत करते रहे व उनके मरने के बाद बतौर खातेदार



प्रार्थीगण काशत करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने इन प्रावधानों को गलत विवेचित किया है। धारा 9 के अनुसार जागीर भूमियों के प्रत्येक काशतकार को इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेख में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर नीहित हो कि काशतकार को काशतकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और ऐसी खुदकाशत के सम्बन्ध में खातेदार काशतकार कहलायेंगे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने स्वयं को धारा 9 के प्रभाव से ही स्वयं को खातेदार होना बतलाया है परन्तु वे वादग्रस्त मंदिर की भूमि पर कभी खातेदार, पट्टेदार या खादिमदार के रूप में दर्ज नहीं रहे हैं और न ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इनको आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार कभी प्राप्त रहे हैं। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 21, 22 जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण के प्रावधान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 26 जागीरदारों की जमीन का पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए प्रावधान करती है। चूंकि एन्यूटी धार्मिक संस्थाओं की भूमि को पुनर्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप अदा किए जाना वाला वार्षिक मुआवजा मात्र है परन्तु उक्त आधार पर जागीरदार के अधिकार यथा मूर्ति मंदिर के अधिकार सम्बन्धित भूमि से समाप्त नहीं होते। उक्त तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि की सुरक्षार्थ भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अप्रार्थी मूर्ति का काउन्टर क्लेम बाबत कायमी रिसीवर स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं० 2014 से 2017 में भूमि की खातेदारी माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी पुजारी माखनदास चेला लाडलीदास ब्राह्मण निवासी चूली माफीदार के नाम दर्ज है परन्तु कृषक के रूप में सुगन पुत्र मूलचन्द माली का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सं० 2020 से 2023 में भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है परन्तु कृषक के रूप में सुगन पुत्र मूलचन्द माली का नाम दर्ज है। नकल खतौनी एकीकरण सं० 2016 में वादग्रस्त भूमि सुगन पुत्र मूलचन्द माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सं० 2015 में सुगन पुत्र मूलचन्द माली का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज है। गिरदावरी सं० 2012 से 2015 में भी सुगन पुत्र मूलचन्द माली का



जगन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा०पत्र टी०आई०  
( 14 )

नाम कृषक के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में कब्जा देखा जाता है एवं प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया है परन्तु खातेदारी दर्ज होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर कब्जाधारी प्रार्थीगण को रिसीवरी की आड में भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यही सिद्धान्त प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डी०एन०जे० 2021 वाल्यूम 3 पेज 946, आर०बी०जे० (25) 2018 पेज 562 में माननीय अपर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अधिकांश न्याय दृष्टान्त मूल वाद से सम्बन्धित तथ्यों के हैं जो वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कायमी रिसीवर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि ख०नं० 918 रकबा 0.94 है० ग्राम खानपुरबडौदा की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें एवं वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का नवीन निर्माण नहीं करें।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( नरेन्द्र कुमार मीना )

उप जिला कलेक्टर

गंगपुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगपुर सिटी (स०मा०)